

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/49/2020

प्रवेश तिथि
20-10-2020

निर्णय दिनांक
18-11-2020

01. सहराब पुत्र श्री शादी खां जाति मेव निवासी ग्राम चौकी तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलांत

बनाम

01. तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

—रैस्पौ0

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 30.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 109/2020

उपस्थित:—

01—श्री जनार्दन शर्मा

—वकील अपीलाण्ट

—निर्णय:—

अपीलांत ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 30.09.2020 जिसके द्वारा अपीलांत को ग्राम चौकी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 3.79 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम चौकी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 3.79 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24.08.2020 को अपीलांत को अतिक्रमी मानकर बिना सुने सजा व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांत को पश्चामवर्ति माना है व पूर्व में अपीलांट्स को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 30.09.2020 अपास्त फरमाया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में पेश शपथ-पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांत द्वारा दिनांक 20.10.2020 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है तथा तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.2020 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांत का अतिक्रमण हटाना बताया है। अतः प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांत एवं न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांत को आरोपित सजा से मुक्त किया जाता है तथा अपीलांत को दण्ड स्वरूप पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18-11-2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)